संख्या-R.F. 74/2024/ 141 /004-E-1797439

प्रेषक,

मो0 वासिफ,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,

1. नगर पालिका परिषद, अछनेरा, जनपद-आगरा।
2. नगर पालिका परिषद, जसवन्तनगर, जनपद-इटावा।
3. नगर पालिका परिषद, कुशीनगर, जनपद-कुशीनगर।
4. नगर पालिका परिषद, तिलहर, जनपद-शाहजहांपुर।
5. नगर पालिका परिषद, बांसी, जनपद-सिद्धार्थनगर।

नगर विकास अनुभाग- 9 **लखनऊ : दिनांक 07 मार्च, 2024**

विषय- वित्तीय वर्ष 2023-24 में पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना अनुदान संख्या-83 से ब्याज रहित ऋण के रूप में नगर पालिका परिषदों के कार्यो/परियोजनाओं हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-325/न0पा0परि0अछ0-प्रमाण पत्र/2023-24, दिनांक-01.03.2024, पत्रांक-301/न0पा0परि0ज0न0/2023-24, दिनांक-20.02.2024, पत्रांक-189/न0पा0प0कु0/2023-24, दिनांक-20.02.2024, पत्रांक-687/न0पा0परि0ति0/2023-24, दिनांक-15.02.2024 एवं पत्रांक-620/न0पा0 परि0बांसी/2023-24, दिनांक-27.02.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर पालिका परिषद, **अछनेरा**, जनपद-आगरा, नगर पालिका परिषद, **जसवन्तनगर**, जनपद-इटावा, नगर पालिका परिषद, **कुशीनगर,** जनपद-कुशीनगर, नगर पालिका परिषद, **तिलहर**, जनपद-शाहजहांपुर एवं नगर पालिका परिषद, **बांसी**, जनपद-सिद्धार्थनगर को पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत धनराशि रू0 99.43 लाख, रू0 52.19 लाख, रू0 103.03 लाख, रू0 56.51 लाख एवं रू0 119.88 लाख का आगणन/प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की मांग पर पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। नगर पालिका परिषद, **अछनेरा**, जनपद-आगरा, नगर पालिका परिषद, **जसवन्तनगर**, जनपद-इटावा, नगर पालिका परिषद, **कुशीनगर**, जनपद-कुशीनगर, नगर पालिका परिषद, **तिलहर,** जनपद-शाहजहांपुर एवं नगर पालिका परिषद, **बांसी**, जनपद-सिद्धार्थनगर द्वारा प्रस्तुत परियोजना के आगणन/प्रस्ताव कुल **लागत धनराशि रू0 427.36 लाख (रूपये चार करोड़ सत्ताइस लाख छत्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं प्रथम किश्त की धनराशि रू0 199.39 लाख (रूपये एक करोड़ निन्यानबे लाख उनतालिस हजार मात्र)** अनुदान संख्या-83, पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में निम्न विवरणानुसार

एवं निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नगर पालिका परिषद

अनुदान संख्या-83 (धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	निकाय/ जनपद का नाम	मद/कार्य	प्राक्कलित धनराशि/ प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	आवंटित धनराशि	आवंटित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जा रही धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पालिका परिषद अछनेरा, जनपद-आगरा	1. वार्ड नं0 20 में मुन्नी अजमेरी के मकान से हफीजा के मकान तक व लिंक गलियों में नाली व सी0सी0 से गली निर्माण कार्य।	14.83		
		2. कचौरा मार्ग से ट्यूवैल नं0 11 तक मार्ग का निर्माण कार्य।	15.57		
		3. वार्ड नं0 16 में रामबाबू पंचर वालों के मकान से से बकील माहौर के मकान तक नाली व गली निर्माण कार्य।	22.05		
		4. वार्ड नं0 19 में रामेश्वर के प्लॉट से कंचन के मकान तक सी0सी0 से गली निर्माण कार्य।	25.57		
		5. वार्ड नं0 13 में भरतपुर मार्ग पर हनुमान मंदिर से चूडी वाले तक व लिंक गलियों सीवर लाईन डालने का कार्य।	20.87		
		योग	**98.89**	**98.89**	**49.44**
2	नगर पालिका परिषद जसवन्त नगर, जनपद-इटावा	1. वार्ड नम्बर 16 मोहन की मड़ैया की मड़ैया में बड़े नाले से तेग बहादुर तक सी०सी० सड़क निर्माण, नाली एवं स्लैब निर्माण कार्य।	26.69		
		2. पालिका सीमा का कूड़ा निस्तारण हेतु 3.3 घन मीटर क्षमता का टाटा ए०सी०ई०, बी0एस0-6 लोडर की आपूर्ति 1 नग।	8.50		
		3. ड़ा निस्तारण हेतु 1000 लीटर क्षमता वाले बड़े लोहे के कवर्ड डस्टबिन 4 पहियों की फिटिंग सहित की आपूर्ति 10 नग।	5.40		
		4. कूड़ा निस्तारण हेतु 140 लीटर क्षमता वाले हैवी आइरन मेक हाथ कूड़ा गाड़ी रबर कवर्ड पहिया सहित की आपूर्ति 100 नग।	11.60		
		योग	**52.19**	**50.00**	**25.00**
3	नगर पालिका परिषद कुशीनगर, जनपद-कुशीनगर	1. वार्ड नं0-01, रानी लक्ष्मीबाईपुरम में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सेमी हाईमास्ट लाइट का स्थापना कार्य।	3.70		
		2. वार्ड नं0-02, माँ कोटेश्वरी नगर में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सेमी 2 हाईमास्ट लाइट का स्थापना कार्य।	3.70		
		3. वार्ड नं0-03, सन्त गाडगे नगर में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सेमी हाईमास्ट लाइट का स्थापना कार्य।	3.70		
		4. वार्ड नं0-04, अम्बेडकर नगर में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सेमी हाईमास्ट लाइट का स्थापना कार्य।	3.70		
		5. वार्ड नं0-05, बापू नगर में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सेमी हाईमास्ट लाइट का स्थापना कार्य।	3.70		
		6. वार्ड नं0-06, बाबा साहेब आपटे नगर में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सेमी हाईमास्ट लाइट का स्थापना कार्य।	3.70		
		7. वार्ड नं0-07, सिद्धार्थ नगर में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सेमी हाईमास्ट लाइट का स्थापना कार्य।	3.70		
		8. वार्ड नं0-08, पं० राजमंगल पाण्डेय नगर में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सेमी हाईमास्ट लाइट का स्थापना कार्य।	3.70		
		9. वार्ड नं0-09, बाला साहब देवरस नगर में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सेमी हाईमास्ट लाइट का स्थापना कार्य।	3.70		
		10. वार्ड नं0-10, वाल्मिकी नगर में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सेमी हाईमास्ट 10 लाइट का स्थापना कार्य।	3.70		
		11. वार्ड नं0-11, विवेकानन्द नगर में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सेमी हाईमास्ट लाइट का स्थापना कार्य।	3.70		
		12. वार्ड नं0-12, वीर अब्दुल हमीद नगर में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सेमी 12 हाईमास्ट लाइट का स्थापना कार्य।	3.70		
		13. वार्ड नं0-13, श्रीराम जानकी नगर में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सेमी 13 हाईमास्ट लाइट का स्थापना कार्य।	3.70		
		14. वार्ड नं0-14, सन्त गणिनाथ नगर में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सेमी 14 हाईमास्ट लाइट का स्थापना कार्य।	3.70		
		15. वार्ड नं0-15, वीर सावरकर नगर में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सेमी 15 हाईमास्ट लाइट का स्थापना कार्य।	3.70		
		16. वार्ड नं0-16, केशव नगर में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सेमी हाईमास्ट लाइट का स्थापना कार्य	3.70		
		17. वार्ड नं0-17, मणिपुरम् में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सेमी हाईमास्ट लाइट का स्थापना कार्य।	3.70		

		18. वार्ड नं0-18, डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सेमी हाईमास्ट लाइट का स्थापना कार्य।	3.70		
		19. वार्ड नं0-19, शिवाजी नगर में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सेमी हाईमास्ट लाइट का स्थापना कार्य।	3.70		
		20. वार्ड नं0-20, शहीद भगत सिंह नगर में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सेमी हाईमास्ट लाइट का स्थापना कार्य।	3.70		
		21. वार्ड नं0-21, बुद्धनगरी में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सेमी हाईमास्ट लाइट का स्थापना कार्य।	3.70		
		22. वार्ड नं0-22, महन्त अवैधनाथ नगर में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सेमी हाईमास्ट लाइट का स्थापना कार्य।	3.70		
		23. वार्ड नं0-23, माधवपुरम् में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सेमी हाईमास्ट लाइट का स्थापना कार्य।	3.70		
		24. वार्ड नं0-24, सुवाष नगर में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सेमी हाईमास्ट लाइट का स्थापना कार्य।	3.70		
		25. वार्ड नं0-25, गायत्रीपुरम् में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सेमी हाईमास्ट लाइट का स्थापना कार्य।	3.70		
		26. र्ड नं0-26, अमिय त्रिपाठी नगर में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सेमी हाईमास्ट लाइट का स्थापना कार्य।	3.70		
		27. वार्ड नं0-27, पंडित दीनदयाल नगर में मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सेमी हाईमास्ट लाइट का स्थापना कार्य।	3.70		
		योग	**99.90**	**99.90**	**49.95**
4	नगर पालिका परिषद तिलहर, जनपद-शाहजहांपुर	1. मो० इमली वार्ड सं0 03 में सदन के फाटक से अच्छन की दुकान तक सी०सी० सड़क एवं नाली निर्माण कार्य ।	19.01		
		2. मो० मुस्तफाबाद में महेश चन्द्र के मकान से बालाजी मंदिर तक सी०सी० सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	21.69		
		3. मो० मुस्तफाबाद में रातऔतार के मकान से भक्सी नाले की ओर सी०सी० सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	15.80		
		योग	**56.50**	**50.00**	**25.00**
5	नगर पालिका परिषद बॉसी, जनपद-सिद्धार्थ नगर	1. प्रताप नगर संजय मिश्र के घर से अताउल्लाह के जमीन तक सी०सी०रोड का निर्माण कार्य।	39.98		
		2. प्रताप नगर में अताउल्लाह के जमीन से जलकल भवन तक सी०सी०रोड का निर्माण कार्य।	39.94		
		3. सुभाष नगर में प्राइमरी स्कूल से फलाहारी बाबा के घर तक सी०सी०रोड का निर्माण कार्य।	39.96		
		योग	**119.88**	**100.00**	**50.00**
	कुल योग (नगर पालिका परिषद : अनुदान सं0-83)		**427.36**	**398.79**	**199.39**

<u>नियम व शर्ते/ प्रतिबन्धों</u>

(1) यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से तीन वर्षो के पश्चात दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही संबंधित निकायों द्वारा स्वीकृत कार्यो हेतु व्यय की जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 व डिपाजिट खाते में नहीं रखी जाएगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से संबंधित शासनादेशों/दिशा-निर्देशों एवं समय पर शासन द्वारा निर्गत अन्य शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(6) प्रस्तावित प्रायोजना के कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया

जायेगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्वन संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा "डिस्पले बोर्ड" पर योजना का नाम अर्थात पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताए यथा कार्ययोजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने, अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित, आगणन, वार्ड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रमाण पत्र आदि पूर्ण कराने का दायित्व संबंधित निकाय का होगा। आगणन में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधित अधिशासी अधिकारी एवं संबंधित अभियन्ता उत्तरदायी होगें।

(9) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) विद्युत कार्यों के लिये शासनादेश संख्या-1383/9-9-14-84 ज/14, दिनांक 19.11.2014 एवं शासनादेश संख्या-227/2015/1689/नौ-8-2015-96ज/2015, दिनांक 20.11.2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रायोजना हेतु नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापतियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

(14) स्वीकृत कार्यो में से जिन कार्यो का निष्पादन एवं रखरखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है, उनके लिये स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी। अन्य कार्यो हेतु आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था का चयन सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।

(15) प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो, के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(16) उपर्युक्त अवस्थापना विकास के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।

(17) योजनान्तर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या- 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(18) 'सेंटेज चार्जेज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन जिलाधिकारी/नगरीय निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में (मार्च 2024 तक) में सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यह कार्यवाही सम्बन्धित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जायगी।

(20) आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये अधिशासी अधिकारी/संबंधित अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(21) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा ली जायें।

(22) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्य पूर्ण होने के पश्चात, यदि धनराशि की बचत होती है तो उक्त धनराशि को निकाय द्वारा राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(23) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(24) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग नीति आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0टी0/टी0एस0सी0 हेतु निर्धारित मानक व दिशा निर्देशो के अनुसार किया जाये।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 1,99,39,000 (रुपये एक करोड़ निन्यानवे लाख उनतालीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 083** लेखा शीर्षक **6215027890402** नगर पालिका परिषदें मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न **संख्या- E-9- 587 -X-2023-24, दिनांक-07 मार्च**, 2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(मो0 वासिफ) 07.03.24
अनु सचिव।

संख्या-R.F. 74 /2024/ 141 /004-E-1797439, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
9. कोषाधिकारी, जनपद-आगरा, इटावा, कुशीनगर, शाहजहांपुर एवं सिद्धार्थनगर।
10. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
11. गार्ड फाइल।
12. बेब मास्टर,कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,
(मो0 वासिफ) 07.03.24
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-07/03/2024

प्रेषण संख्या:- RF79
आवंटन आदेश संख्या:- 001-RF79-2024-141-004-E-1797439
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
789 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना
04 - पं. दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना
02 - नगर पालिका परिषदें

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	आगरा-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4944000 4944000	4944000 4944000
2	शाहजहांपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 2500000	2500000 2500000
3	इटावा-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2500000 2500000	2500000 2500000
4	सिद्धार्थनगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
5	कुशीनगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4995000 4995000	4995000 4995000
	योग	वर्तमान प्रगामी	19939000 19939000	19939000 19939000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ निन्यानवे लाख उनतालीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ निन्यानवे लाख उनतालीस हजार

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव